07.05.24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी या प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित नहीं। बार बार आवाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आए। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अदम-पैरवी- अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
R.A.S.